98

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1320–दो/2017 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–4–2017– पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्र0क0 398/2015-16 अपील

चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा
खार रोड सवलगढ़ जिला मुरैना ——आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर मुरैना
2– रामजीलाल बंसल पुत्र सोनेराम बंसल
एम0एस0रोड सवलगढ़ जिला मुरैना
3– ओमप्रकाश बंसल पुत्र मलूकचंद बंसल
तुलसी कालोनी नैनागढ़ रोक, मुरैना
4– दिनेश चंद बंसल पुत्र मलूक चंद बंसल
एम0एस0रोक सवलगढ़ जिला मुरैना
5– हितेन्द्र मुदगल पुत्र मणीशंकर मुदगल
रामसहाय गली सवलगढ़ जिल मुरैना ——अनावेदकगण

(आवेदक एंव उनके अभिभाषक अनुपस्थित)
(अनावेदक क–1 से 3 के अभिभाषक श्री अमित स्वामी)
(अनावेदक क–4 के अभिभाषक श्री संजय शुक्ला)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 26– 06– 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 398 15–16 अपील में पारित आदेश. दिनांक 18–4–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक का शिकायत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ को इस आशय का प्राप्त हुआ कि रामजीलाल बंसल पुत्र

सोनेराम बंसल, ओमप्रकाश बंसल पुत्र मलूकचंद बंसल,दिनेश चंद बंसल पुत्र मलूक चंद बंसल हितेन्द्र मुदगल पुत्र मणीशंकर मुदगल ने ग्राम तिन्दौली की भूमि सर्वे कमांक 237 मिन 1 रकबा 0.320 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 238 रकबा 740 हैक्टर में से 60,000/- वर्गफुट पर आवासीय व्यपवर्तन कराकर छोटे छोटे भूखंडों के रूप में कालोनी निर्माण किया है। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्र0क0 01/ 15-16 अ-89(13) पॅजीबद्व किया तथा स्थल की जांच राजस्व निरीक्षक से कराई। राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने अनावेदक 2 से 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा सुनवाई कर आदेश दि. 30-6-2016 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक 1 से 4 व्दारा अवैध कालोनी निर्माण करना मानते हुये प्रश्नाधीन भूमि का रकबा 0.76 का आवासीय मूल्य 2,11,05,000/- रू. दर्शाते हुये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (4) के अंतर्गत भूमि के बाजारू मूल्य के बीच प्रतिशत की दर से कुल शास्ति 42,21,000/- रू. अधिरोपित की एंव भूमि यथावत् स्थिति में लाये जाने के आदेश दिये।

आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश दिनांक 30-6-2016 के विरूद्व अपर कलेक्टर जिला मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-2016 से अनावेदक कमांक 2 से 4 व्दारा भूमि व्यपवर्तन कराकर विकय करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ का आदेश दिनांक 30-6-16 इन पर लागू न होने से निरस्त कर दिया तथा आवेदक कमांक 5 व्दारा सर्वे कमांक 238 में से रकबा 0.07 आरे का कृषि भूमि का विकय पत्र कराने से भूमि का तदादी 4,50,000/- रूपये अंकित होने से बाजारू मूल्य 28,50,000/- रू. स्टाम्प डयूटी एंव पंजीयन शुल्क चुकाने के आधार पर बिना अनुमति, बिना भूमि व्यपवर्तन कराये छोटे छोटे भूखंड विकय करने के कारण संहिता की धारा 172(2) का उल्लॅघन करने से धारा 172(4) के अंतर्गत तथा नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

अपर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-2016 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण कमांक 398/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-4-17 से अपील स्वीकार करके अपर कलेक्टर जिला मुरैना का आदेश दिनांक 3-9-2016 निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ का आदेश दिनांक 30-6-2016 यथावत् रखा। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक एंव उनके अभिभाषक वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त न करते हुये प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित अनुसार आवेदक की मांग यह है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग व्दारा पारित आदेश दिनांक 18-4-17 के अनुसार उसकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 3-9-16 को निरस्त किया गया है और अनुविभागीय अधिकारीसवलगढ़ के आदेश दिनांक 30-6-2016 को मान्य किया गया है परन्तु रामजीलाल एंव ओमप्रकाश के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र में उल्लेखित वास्तविक बाजारू मूल्य रू. तीन करोड़ साठ लाख के अनुसार शास्ति अधिरोपित न करते हुये राजस्व निरीक्षक की गाईड लायन अनुसार रू. 2 करोड 11 लाख के मान से शास्ति अधिरोपित करने मेंभूल की है एंव रिस्पा. 2 से 5 व्दारा विभिन्न मदों में क्षति कारित की गई है उसके संबंध में कार्यवाही न करते हुये प्रथक से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होने का गलत लेख किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तद्नुसार आदेश दिये जाने की मांग उल्लेखित है।

5/ आवेदक एंव अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का तथा तीनों न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 18-4-16 के विरूद्व अनावेदक कमांक 2

लगायत 5 ने राजस्व मण्डल में निगरानी कमांक 1255-दो/2017 प्रस्तुत की है जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-6-2018 से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 398/15-16 अपील में पारित आदेश. दिनांक 18-4-17 को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की गई है एंव अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 13/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-2016 यथावत् हो गया है । राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के निगरानी कमांक 1255-दो/2017 में पारित आदेश दिनांक 26-6-2018 के प्रभावशील होने से विचाराधीन निगरानी निष्फल है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निष्फल रहने से इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर